संख्या-56/2023/488/छप्पन-2023-46/2002

प्रेषक,

आनन्द कौशिक,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ, दिनांक: 15 मई, 2023

विषय: जनपद लखीमपुर खीरी के पलिया स्थित हवाई पट्टी के विकास हेतु मास्टर प्लान विकल्प संख्या-2 के अनुसार भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से ओ0एल0एस0 सर्वेक्षण कराए जाने के सम्बन्ध में प्राधिकरण द्वारा मांगी गई धनराशि/परामर्श शुल्क के भुगतान के सम्बन्ध में वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या- 10/आर0सी0एस0/2023-बी-1/2022 दिनांक 10 अप्रैल, 2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा जनपद लखीमपुर खीरी के पलिया स्थित हवाई पट्टी के विकास हेतु मास्टर प्लान विकल्प संख्या-2 के अनुसार भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से ओ0एल0एस0 सर्वेक्षण कराए जाने के सम्बन्ध में प्राधिकरण द्वारा मांगी गई धनराशि/परामर्श शुल्क रू0 37,91,340/- (ओ0एल0एस0 सर्वे शुल्क रू0 32,13,000/- + 18% जी.एस.टी. रू0 5,78,340/-) का भुगतान भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को किए जाने की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृत निर्गत किए जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में जनपद लखीमपुर खीरी के पलिया स्थित हवाई पट्टी के विकास हेतु मास्टर प्लान विकल्प संख्या-2 के अनुसार भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से ओ0एल0एस0 सर्वेक्षण कराए जाने के सम्बन्ध में प्राधिकरण द्वारा मांगी गई धनराशि/परामर्श शुल्क रू0 37,91,340/- (रूपये सैंतीस लाख इक्यानवे हजार तीन सौ चालीस मात्र) (ओ0एल0एस0 सर्वे शुल्क रू0 32,13,000/- + 18% जी.एस.टी. रू0 5,78,340/-) का भुगतान किए जाने की सहर्ष स्वीकृत निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रदान करते हैं:-

I. उक्त स्वीकृत धनराशि के आहरण एवं व्यय में संबंधित पक्षों द्वारा वित्तीय नियमों/ आदेशों/ प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा|
II. निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा प्रस्तावित धनराशि को आहरित कर किसी बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा। अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

2/....

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

III. निदेशक, नागरिक उड्डयन यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य कराया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता , मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी निदेशक, नागरिक उड्डयन की होगी।

IV. निदेशक, नागरिक उड्डयन यह भी सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

V. बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व निदेशक, नागरिक उड्डयन का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश निदेशक, नागरिक उड्डयन बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।

VI. प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा।

VII. निदेशक, नागरिक उड्डयन यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है।

VIII. निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 17 मार्च , 2023 में उल्लिखित दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

IX. अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

X. धनराशि का आहरण केवल तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार किया जाएगा|

XI. आहरित धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण-पत्र यथा समय शासन को उपलब्ध कराया जाएगा|

XII. स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जाएगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है।

3- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के अनुदान संख्या-38 के पूंजी लेखा ''लेखा शीर्ष 5053 नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय-02-विमानपत्तन- 800-अन्य व्यय-20-हवाई पट्टियों के निर्माण, विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण तथा भूमि अर्जन-60-भूमि क्रय" के नामे डाला जाएगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या: ई-7-3/दस-2023-24, दिनांक 28 अप्रैल, 2023 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किए जा रहे हैं।

भवदीय,
आनन्द कौशिक
अनु सचिव।

3/.....

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

पृ0सं0: 56/2023/488(1)/छप्पन-2023-तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- उप महालेखाकार ई0एस0।।।, आडिट भवन, टी0सी0-35-वी-।, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-10
3- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/लखीमपुर खीरी।
4- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7 ।
5- निदेशक, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, राजीव गांधी भवन, सफदरजंग एयरपोर्ट, नई दिल्ली-110003.
6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
आनन्द कौशिक
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।